कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 25/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 24.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा विनष्टीकरण कराये गये कुल 84.659 किग्रा अवैध मादक पदार्थ (अवैध गांजा,हेरोइन, नशीला पाउडर) जिसकी अनुमानित कीमत करीब रु0 05 करोड़ 74 लाख 46 हजार 625 रु है।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के नेतृत्व में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा मादक पदार्थों के कुल 13 अभियोगों से संबंधित माल का निस्तारण/विनिष्टीकरण कराया गया

जनपद के 05 थानों(जीआरपी थाना गाजीपुर सिटी, दुल्लहपुर, भूड़कुड़ा, सादात, जमानियाँ) पर पंजीकृत कुल 13 अभियोगों से सम्बंधित कुल 84.659 किग्रा (अवैध गांजा,हेरोइन, नशीला पाउडर) का कराया गया विनष्टीकरण।

जनपद गाजीपुर के थाना कासिमाबाद क्षेत्रांतर्गत स्थित Silicon welfare society Waste treatment plant के इन्सिनेटर द्वारा कराया गया निस्तारण/विनिष्टीकरण

विनष्टीकरण किये गये मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत करीब रु0 05 करोड़ 74 लाख 46 हजार 625 रु है।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के मार्गदर्शन में जनपद के विभिन्न थानों पर अवैध मादक पदार्थों के संबंधित पंजीकृत अभियोग से संबंधित माल के निस्तारण हेतु मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) द्वारा मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों के निस्तारण की

कार्यवाही के क्रम में दिनांक 24.09.2025 को जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा जनपद के 05 थानों पर अवैध मादक पदार्थों से संबंधित पंजीकृत कुल 13 अभियोगों से सम्बंधित कुल 84.659 किग्रा (अवैध गांजा,हेरोइन, नशीला पाउडर) का विनष्टीकरण मानक के अनुसार जनपद गाजीपुर के थाना कासिमाबाद क्षेत्रांतर्गत स्थित Silicon welfare society Waste treatment plant के इन्सिनेटर के माध्यम से कराया गया।

02. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-18/25 धारा-115(2)/351(3)/352/308(5) बीएनएस व 3(1) द,ध 3(2)V एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार !

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.09.2025 को उ0नि0 पुष्पेश चन्द्र दूबे मय हमराह के मा0न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट गाजीपुर महोदय से निर्गत गैर जमानती वारण्ट संबंधित मु0अ0सं0-18/25 धारा-115(2)/351(3)/352/308(5) बीएनएस व 3(1) द,ध 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित वारण्टी कमाल अहमद पुत्र जियाउद्दीन उम्र करीब 47 वर्ष नि0 बहादुरगंज थाना कासिमाबाद गाजीपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी–

कमाल अहमद पुत्र जियाउद्दीन उम्र करीब 47 वर्ष नि0 बहादुरगंज थाना कासिमाबाद गाजीपुर

अपराधिक इतिहास–

1- मु0अ0सं0 322/23 धारा 120बी/386/447/506 भादवि थाना कासिमाबाद गाजीपुर
2- मु0अ0सं0 68/24 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कासिमाबाद गाजीपुर
3- मु0अ0सं0 18/25 धारा 115(2)/351(3)/352/308(5)/ बीएनएस व 3(1) द,ध व 3(2)v एसएसटी एक्ट थाना कासिमाबाद गाजीपुर

03. सराहनीय कार्य जनपद ग़ाज़ीपुर

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.2025 को थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर को इवेंट सं0 6090 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना रामपुर मांझा स्थित ग्राम खानकाह कलां मे एक लडकी उम्र करीब 15-16 वर्ष भटकते हुए मिली है, उक्त सूचना पर क्षेत्र में भ्रमणशील चीता मो0 कर्मी का0 संदीप बिन्द, का0 संदीप मौर्या एवं म0का0 खुशबू दुबे मौके पर पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि एक महिला जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मौजूद मिली। पुलिस टीम द्वारा उक्त अज्ञात महिला को थाने पर लाकर पूछताछ किया गया तो उक्त महिला द्वारा अपने पिता का नाम मुबारक एवं अपना निवास मछरेहटा सीतापुर बताया गया। जनपद सीतापुर थाना मछरेहटा के सीयूजी नं0 9454404253 पर सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त महिला ग्राम कजियारा थाना मछरेहटा निवासी स्व0 मुबारक अली की पुत्री एवं इरशाद अली की बहन है। इस सम्बन्ध में उक्त महिला के भाई से सम्पर्क किया गया। उ0नि0 सरोज कुमार पाण्डेय व म0का0 खुशबू दुबे की सुपुर्दगी में उक्त महिला को वन स्टाफ सेंटर गाजीपुर में दाखिल कराया गया। उक्त महिला के भाई इरसाद अली के थाना स्थानीय पर पहुँचकर अपना परिचय पत्र, आधार कार्ड तथा अपनी बहन से परिचय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्रभारी निरीक्षक रामपुर मांझा द्वारा उक्त महिला को उसके भाई इरसाद अली को सुपुर्द किया गया। जिस पर मुक्त महिला के परिजनों द्वारा पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर